न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 02/2016

दायर दिनांकः 30.07.2019

उनवान

गोपी पिता सुरजमल नायक उम्र बालिग निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ

––प्रार्थी

बनाम

1. लादू पिता नन्दा नायक उम्र बालिग निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
2. गोपाल पिता भूरा नायक उम्र बालिग निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राजस्थान

––अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री सांवरमल रेबारी :– अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांकः 09.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपी पिता सुरजमल नायक निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ ने दिनांक 01.07.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीसिहजीकाखेडा प0ह0 जालिया तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 113 रकबा 05.13 बीघा स्वयं की खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय नही किया है। मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को उक्त भूमि की की पत्थगढी करवाई गई जिसके अनुसार मेरी खातेदारी भूमि के आराजी नं. 113 की 05 बिस्वा भूमि पर विपक्षी संख्या 01 लादू पिता नन्दा नायक, व 02 बिस्वा भूमि पर विपक्षी संख्या 02 गोपाल पिता भूरा नायक का अवैध कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढी ही मुझ प्रार्थी द्वारा विपक्षीगणो से कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया गया तो विपक्षीगण इन्कार हो गये। प्रार्थी ने उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से विपक्षी को बेदखल कर कब्जा स्वयं प्रार्थी को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए है। भू– अभिलेख निरीक्षक, बीगोद द्वारा दिनांक 11.06.2019 को विवादित भूमि की पत्थगढी का मौका पर्चा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली मे संलग्न है। पत्थगढी के मौका पर्चा अनुसार ग्राम भवानीसिहजीकाखेडा प0ह0 जालियां के आराजी नं. 113 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है मे से 05 बिस्वा भूमि पर लादू पिता नन्दा नायक व 02 बिस्वा भूमि पर गोपाल पिता भूरा नायक का कब्जा है।

मेनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्थगढी का मौका पर्चा व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक बीगोद को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भवानीसिहजीकाखेडा प0ह0 जालिया तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 113 रकबा 5.13 बीघा भूमि मे से 05 बिस्वा भूमि से विपक्षी संख्या 1 लादू पिता नन्दा नायक निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

माण्डलगढ को व 02 बिस्वा भूमि से विपक्षी संख्या 2 गोपाल पिता भूरा नायक निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ को वेदखल कर कब्जा प्रार्थी गोपी पिता सुरजमल नायक निवासी भवानीसिहजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बीगोद को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ़
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner